

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 353] No. 353] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 12, 2015/माघ 23, 1936

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 12, 2015/MAGHA 23, 1936

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2015

का.आ. 502(अ).—यत: दिल्ली के मास्टर प्लॉन में अधोउल्लिखित क्षेत्र के संबंध में केन्द्र सरकार का जिन कितपय संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-44 के प्रावधानों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 06.09.2013 की सं. का.आ. 2686(ई) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपित्तयां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

- 2. यत∶ दिल्ली विकास प्राधिकरण ने प्रस्तावित संशोधनों से संबंधित आपत्ति**यों ∕सुझावों पर** विचार किया था**;** और
- 3. यत: केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, दिल्ली के मास्टर प्लान- 2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
- 4. अत:, अब उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से, दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

संशोधन:

स्थान	क्षेत्रफल	भूमि उपयोग	परिवर्तित भूमि	सीमाएं
		(दि.म्.यो-	उपयोग	
		2021/जेडडीपी-जे)		
योजना जोन 'डी'	0.89 हैक्टेयर	'आवासीय '	"सार्वजनिक एवं	उत्तर: प्रेजीडेंशियल एस्टेट क्वार्टर एवं प्रस्तावित
के अंतर्गत आने	(2.20 एकड़)) अर्द्ध-सार्वजनिक	9 मीटर चौड़ी सड़क
वाला डॉ.			सुविधाएं (तृतीय	दक्षिण: अक्षरा थियेटर एवं बाबा खडग सिंह मार्ग
आर.एम.एल.			स्वास्थ्य सेवा	पूर्व: विद्यमान विद्यालय
अस्पताल का जी-			केन्द्र)	पश्चिम : विद्यमान डॉ. आर.एम.एल अस्पताल।

757 GI/2015 (1)

प्वाइंट, गोल मार्किट स्थित			
सुपर सपेशिएलिटी			
अस्पताल ।			

[फा. सं. के-13011/23/2012-डीडी-I] सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February, 2015

- **S.O. 502(E).**—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 2686 (E) dated 6.9.2013 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.
- 2. Whereas objections/suggestions with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority; and
- 3. Whereas the Central Government have, carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.
- 4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India:—

Modification:

Location	Area	Land use	Land use	Boundaries
		(MPD-2021)	Changed to	
1	2	3	4	5
Super Speciality	0.89 ha	. 'Residential'	'Public & Semi-	North: Presidential Estate Quarters &
Hospital of Dr.	(2.20		Public' facilities	proposed 9m wide Road
R.M.L. Hospital	acres)		(Tertiary Health	South: Akshara Theatre & Baba Kharak
at G-Point, Gole			Care Centre)	Singh Marg
Market falling				East: Existing School
in Planning				West: Existing Dr. R.M.L. Hospital
Zone-'D'				

[F. No. K-13011/23/2012-DD-I] SUNIL KUMAR, Under Secy.